



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244702
CG-DL-E-25032023-244702

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]
No. 194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

अधिसूचना

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

सं. पीपीआर/पी/412/17-डीडी/190/आईएनएफ/18-बीओडी/580/2020 : —चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड ने सीए. गिरीश भेरूमल गुंडेशा (सदस्यता संख्या 042885), 202, खोपकर हाइट्स, वायएमसीए क्लब के सामने, 383, न्यू रास्ता पेठ, पुणे - 411011, को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन बोर्ड ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् सीए. गिरीश भेरूमल गुंडेशा (सदस्यता संख्या 042885) के नाम को तीन (03) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया और साथ ही उन पर 1,00,000 रुपए (केवल एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के

विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. गिरीश भेरूमल गुंडेशा (सदस्यता संख्या 042885) का नाम 24 मार्च, 2023 से तीन (03) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

सीए.(डा.)जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./720/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

NOTIFICATION

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

New Delhi, the 24th March, 2023

No. PPR/P/412/17-DD/190/INF/18-BOD/580/2020:—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Girish Bherumal Gundesha (Membership No. 042885), 202, Khopkar Heights, Opposite YMCA Club, 383, New Rasta Peth, PUNE - 411011**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Girish Bherumal Gundesha (Membership No. 042885)** from the Register of Members for a period of 3(Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Girish Bherumal Gundesha (Membership No. 042885)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 24th March, 2023.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.III/4/Extry./720/2022-23]